

12/25 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीक सब में  
अज अदावती कर स्थगन कर  
रखा है। अज अदावती कर शानुसार  
दिनांक 9/4/25 को पेश है।

21/4/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी की  
तामील पूर्व में सम्यक रूप से होकर लौटी हैं।  
बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के  
विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं।  
प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गयी।  
पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील  
प्रार्थी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि अप्रार्थी  
बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नही आये।  
अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत बाजदायरी  
न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मूल वादपत्र  
उनवानी राजेन्द्र उर्फ राजेश यादव बनाम भूमिधारी  
मु.सं. 58/2023 में पारित आदेश दिनांकित 30.04.  
2024 को अपास्त कर पुनः रिकार्ड पर लिये जाने  
का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार  
होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल  
व्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

20/06/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी की  
तामील पूर्व में सम्यक रूप से होकर लौटी हैं।  
बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के  
विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं।  
प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गयी।  
पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील  
प्रार्थी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि अप्रार्थी  
बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नही आये।  
अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत बाजदायरी  
न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मूल वादपत्र  
उनवानी राजेन्द्र उर्फ राजेश यादव बनाम भूमिधारी  
मु.सं. 58/2023 में पारित आदेश दिनांकित 30.04.  
2024 को अपास्त कर पुनः रिकार्ड पर लिये जाने  
का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार  
होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल  
व्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिका  
नीमकाथाना